संख्या-9/2025/77-1002(002)/2/2022/001-172

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
उद्योग, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 17.04.2025

विषय:- औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस आदि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु धनराशि का आबंटन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि रू0 60,00,000/- (रूपया साठ लाख मात्र) का आवंटन/स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में जारी निदेशों के अनुसरण में औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनियों, निगमों आदि से सम्बन्धित रिट याचिकाओं, वादों, अवमाननावादों आदि की पैरवी एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान, वादों की पैरवी में निहित व्यय की व्यवस्था हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए आपको प्राधिकृत करते हैं कि आवंटित धनराशि सक्षम प्राधिकारी, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की मांग पर आहरित कर यथासमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(01)- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसका सदुपयोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर महालेखाकार, उ0प्र0 तथा वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(02)- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु, सक्षम अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,00,000.00 (रुपये साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2852808000600 न्यायालयों में वादों की पैरवी **मानक मद** 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या- 9(1)/2025/77-1002(002)/2/2022/001-172

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
4- उद्योग निदेशक, अर्थ अनुभाग, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।
6- कोषाधिकारी, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

http://shasa

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।